कार्यालय उपाध्यक्ष
कानपुर विकास प्राधिकरण,कानपुर

पत्रांक– 55 /उपा/पीए/17–18 दिनांकः– 16/05/17

कार्यालय आदेश

प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से शमन प्रकोष्ठ के गठन से सम्बन्धित आदेशो को अवक्रमित करते हुय आदेशित किया जाता है कि अब शमन से सम्बन्धित प्रकरणो का निस्तारण भवन विभाग द्वारा किया जायेगा

भवन विभाग का कार्य श्री आशीष शिवपुरी, मुख्य नगर नियोजक द्वारा सम्पादित किया जाएगा। श्री शिवपुरी के अधीन भवन विभाग मे निम्नवत स्टाफ कार्यरत रहेगाः–

1. श्री अशोक कुमार, नगर नियोजक
2. श्री पी0के0गुप्ता,अवर अभियंता (जोन–1)
3. श्री वी0पी0सिंह,अवर अभियंता (जोन–1)
4. श्री कायम अली रिजवी,अवर अभियंता (जोन–1)
5. श्री रामाशीष शर्मा, अवर अभियंता (जोन–2)
6. श्री अनूप श्रीवास्तव अवर अभियंता (जोन–2)
7. विनोद कुमार अवर अभियंता (जोन–3)
8. श्री अजय अहिरवार,अवर अभियंता (जोन–3)
9. श्री अनुराग नागर,अवर अभियता (जोन–4)
10. श्री राम मनोहर, अवर अभियंता (जोन–4)

विभिन्न जोनो की पत्रावलिया सम्बन्धित अवर अभियंताओ द्वारा नगर नियोजक को प्रेषित की जाएगी, नगर नियोजक द्वारा उक्त पत्रावलिया मुख्य नगर नियोजक को प्रेषित की जाएगी। मुख्य नगर नियोजक द्वारा प्रतिनिधायन के अनुसार पत्रावलियां सचिव/उपाध्यक्ष को प्रेषित की जाएगी। श्री राजीव रतन शाह, सहायक नगर नियोजक को मुख्य नगर नियोजक के साथ सम्बद्ध किया जाता है।

उक्त आदेश तत्काल से प्रभावी होगा।

(जयश्री भोज)
उपाध्यक्ष

प्रतिलिपि :

1. सचिव,कानपुर विकास प्राधिकरण,कानपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं विभागीय अधिकारी।
3. सम्बन्धित को अनुपालनार्थ।
4. गार्ड फाइल हेतु।

(जयश्री भोज)
उपाध्यक्ष

कार्यालय उपाध्यक्ष
कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर

दिनांक:– 06/9/16

पत्रांक – 6 / उपा./पीए/16–17

कार्यालय आदेश

मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी पूर्व प्रसारित आदेशो को अवक्रमित करते हुये उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के अधीन गठित प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की शक्ति जो मुझमें निहित है, का प्रयोग करते हुये मैं, जयश्री भोज, उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण एतद द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा– 14 एवं 15 (उपधाराओ सहित) में निहित शक्तियों एवं कर्तव्यो का प्रतिनिधायन निम्नलिखित अधिकारियो के पक्ष में उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित क्षेत्र में उस सीमा तक प्रयोग करने के लिये प्रतिनिधायित करती हूँ :–

क्रमांक	अधिकारी का नाम	पद नाम	प्रतिनिधायन की सीमा
1	श्री आशीष शिवपुरी	मुख्य नगर नियोजक	शमन मानचित्रो छोड़कर प्राधिकरण क्षेत्र के 300 वर्गमीटर से अधिक एवं 500 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल के आवासीय एवं 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के समस्त अनावासीय भवनो के मानचित्र की स्वीकृति/ अस्वीकृति।
2	श्री अशोक कुमार	नगर नियोजक	शमन मानचित्रो छोड़कर प्राधिकरण क्षेत्र के 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक समस्त आवासीय (डीम्ड सैक्शन सहित) मानचित्रो की स्वीकृति/ अस्वीकृति।

उक्त आदेश तत्काल से प्रभावी होगा।

(जयश्री भोज)
उपाध्यक्ष

प्रतिलिपि–
1. सचिव, कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं विभागीय अधिकारी।
3. गार्ड फाइल हेतु।

(जयश्री भोज)
उपाध्यक्ष